प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No.-----

Dated- 30.06.2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA'. for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.95 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Irrigation Department** for **Construction of Dam across Ramganga River at Gairsain in Chamoli district** falls within jurisdiction of **Maroda village** in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.95 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
District Collector
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated----30·06·2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irrigation Division Tharali for Construction of Dam across Ramganga River at Gairsain in Chamoli district falls within jurisdiction of Maroda village in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried
out for the entire0.697 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications. in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Marodavillage is enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली
(District Collector)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ...Swati S. Bhadoriya...... I.A.S deputy commissioner,. **Chamoli** on dated ..30.6.21.. at time ..17:10 Hr........... in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **4.95 hect**. for the **Construction of Dam across Ramganga river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Maroda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Gopeshwar..........

Dated:..30.06.2021..........

जिलाधिकारी
चमोली
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए ~~3.50~~ 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – फरकण्डे
तहसील–गैरसैंण, जिला––चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (–00.0– हे0 आरक्षित वन भूमि, –0.00– हे0 सिविल सोयम भूमि...0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 4.95–– हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फरकण्डे––– द्वारा दिनांक 10/01/20.. को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –फरकण्डे–––––– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत फरकण्डे
ह0 इन्द्रा देवी
दि0........
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गैरसैंण, जनपद–चमोली

ग्राम पंचायत ह0/
ग्राम पंचायत सचिव
वि0 मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–23.1

दिनांक 10/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा फरकण्डे

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	हीरासिंह फनियाल पूर्व जि० प० स०	[signature]
2	प्रेमसिंह सिटाणी संरपन्च फरकण्डे तल्ली	[signature]
3	इन्द्रादेवी फनियाल ग्राम प्रधान फरकण्डे	इन्द्रादेवी
4	कमलादेवी अध्यक्षा महिलामंगलदल फरकण्डे	कमलादेवी
5	कीरतसिंह संरपन्च वन पंचायत फरकण्डे त०	किरतसिंह
6	हीरादेवी अध्यक्षा महिलामंगलदल जागड़ी	हीरादेवी
7	सरस्वतीदेवी आशा कार्यकत्री फरकण्डे	सरस्वती देवी
8	इन्द्रादेवी अध्यक्षा म० मन्दल खीलसैण	इन्द्रा देवी
9	सुन्दरी देवी वार्डसदस्य फरकण्डे	सुन्दरी देवी
10	हिम्मत सिंह फनियाल ग्राम फरकण्डे त०	[signature]

[signature]
ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत
मुहर सहित
वि0 ख0
जनपद–चमोली

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत फरकण्डे
ह० इन्द्रादेवी
दि०
वि० ख० गैरसैण (चमोली)

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —नैल—

तहसील—गैरसैंण—, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (—0.00— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 4.95— हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —नैल—— द्वारा दिनांक 07/12/20 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ——नैल—— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0 ग्राम पंचायत नैल कुमोली
वि0 ख0 गैरसैंण
चमोली
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत नैल कुमोली
ह0 ....
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 07/12/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा नैल

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	भागीरथी नेगी	[signature]
2	जहीदा बेगम	जहीदा
3	मरजीना बेगम	मरजीना
4	फरीदा बेगम	फरीदा बेगम
5	इन्द्र सिंह बेगम	I.S. Negi
6	नवीन बक्स	[signature]
7	गड्डू खांन	Guddu KHAN
8	विजय प्रसाद	Vijay. dondiyal.
9	असद अल्ली	असद अल्ली
10		

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैल
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद–चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत नैल
ह0 ....
दि0 ....
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –मरोड़ा

तहसील–गैरसैंण, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (–0.00– हे0 आरक्षित वन भूमि, –0.00– हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि –4.95– हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –मरोड़ा– द्वारा दिनांक 08/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –तलगाँव (मरोड़ा)– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव मरोड़ा
वि0खं0 गैरसैंण
मुहर सहित
जनपद–चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत मरोड़ा
ह0
दि0 05/09/20
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–23.1

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपरिथति।

ग्राम सभा मरोड़ा

क0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	रघुवीर सिंह	[signature]
2	मोहनसिंह	mohansingh
3	चन्दनसिंह रावत	[signature]
4	कल्याणसिंह	[signature]
5	अमरसिंह	अमरसिंह
6	रणजीतसिंह	[signature]
7	कुंवरा राम	[signature]
8	विरेन्द्र सिंह	[signature]
9	कृपालसिंह	[signature]
10	हीरासिंह	[signature]

ह0 [signature] ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
वि0 खं0 पोखरी
जनपद–चमोली

[stamp] राजेन्द्र

[stamp] ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
दि0 8/01/20

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा मरोड़ा की बैठक द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ---मरोड़ा------- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाइ विभाग को गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मरोड़ा
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद-चमोली

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दि० 8/01/2020
वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

प्रारुप—23.1

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा मरोड़ा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/—
1	सुखबीर सिंह	[illegible]
2	मोहनसिंह	mohan singh
3	चन्दनसिंह रावत	[illegible]
4	कल्याण सिंह	KS Rawat
5	अमरसिंह	अमरसिंह
6	रणजीतसिंह	[illegible]
7	कुन्नाराम	कुन्नाराम
8	विरेन्द्रसिंह	VS Rawat
9	मखलसिंह	[illegible]
10	धीरसिंह	[illegible]

ह0/—
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मरोड़ा
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद—चमोली

ह0/—
ग्राम प्रधान/सरपंच
8/1/20 मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत मरोड़ा
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

वन पंचायत सरपंच ग्राम फरकण्डे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 09/01/2020 को ग्राम सभा फरकण्डे की बैठक द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फरकण्डे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	हीरासिंह फनियाल पूर्व प्रनि0 प्र0 फ0	[signature]
2	प्रेमसिंह सिराणी सरपंच वन पंचायत फरकण्डे	[signature]
3	इन्द्रादेवी ग्राम प्रधान फरकण्डे	इन्द्रा देवी
4	कमलादेवी अध्यक्षा महिला मंगल दल फरकण्डे	कमलादेवी
5	कीरतसिंह पूर्व सरपन्च फरकण्डे त0	किरतासिंह
6	हीरादेवी महिला मंगल दल फरकण्डे	हीरादेवी
7	सरस्वतीदेवी आशा कार्यकर्ती फरकण्डे	सरस्वती देवी
8	इन्द्रादेवी अध्यक्षा फ० क० दल सम्मिलित	इन्द्रा देवी
9	~~[illegible]~~ सुन्दरीदेवी वार्ड सदस्य फ0 त0	सुन्दरी देवी
10	हिम्मत सिंह फनियाल	[signature]
11	भरत सिंह फनियाल उप प्रधान फ0	[signature]
12		

[signature]

सरपंच
वन पंचायत फरकण्डे तल्ली
वि0ख0 – गैरसैंण (चमोली)

ह0/–

वन पंचायत सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण मे **प्रस्तावित बाँध के नव निर्माण हेतु** 4.95 **हे0** वन भूमि (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि,शून्य हे0 सिविल सोयम वन भूमि; 4.95 **हे0 वन पंचायत भूमि**, अर्थात कुल 4.95हे0 वन भूमि) का **सिंचाई विभाग** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–गैरसैण) की दिनांक 16/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ......कौस्तुभ मिश्र...... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री कौस्तुभ मिश्र ——उपजिलाधिकारी —— [signature] अध्यक्ष
2– श्री प्रदीप गौड़ ——वन क्षेत्राधिकारी—— [signature] सदस्य
3– श्री संदीप चौधरी ——सहा0 समाज कल्याण अधिकारी [signature] सचिव
4– श्री शाशि देवी —— क्षे0पं0स0 रामडा मल्ला —— सदस्य
5– श्री बेगा लाल टम्टा ——क्षे0पं0स0—सिराणा —— सदस्य
6– श्री मातवर सिंह ——क्षे0पं0स0 —कुली मज्याड़ी—— सदस्य
7 श्रीमती महेश्री देवी ,, मेहलचौरी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया की प्रस्तावित बाँध के निर्माण हेतु 4.95 **हे0** वन भूमि सिंचाई विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित वन क्षेत्राधिकारी, लोहबा वन क्षेत्र ....द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन

है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित बाँध के नव निर्माण हेतु 4.95 हे0 वन भूमि सिंचाई विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद चमोली

उप जिलाधिकारी गैरसैण जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद चमोली

उप जिलाधिकारी गैरसैण जनपद चमोली

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक – 16/06/2021 को सम्पन्न उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की उपस्थिति।

1	कौस्तुभ मिश्र	उपजिलाधिकारी गैरसैंण	उप जिलाधिकारी गैरसैंण जनपद चमोली
2	श्री प्रदीप गौड़	वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण	वन क्षेत्राधिकारी लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण
3	संदीप चौधरी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड- गैरसैंण (चमोली)
4	शशि देवी	क्षे0पं0स0	(श्रीमती शशि मौरियाल) प्रमुख क्षेत्र पंचायत गैरसैंण (चमोली)
5	गंगा लाल टम्टा	क्षे0पं0स0 सिराणा	जी.एल.टम्टा सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड-11 सिराणा वि.ख.-गैरसैंण (चमोली)
6	मातवर सिंह	क्षे0पं0स0 आली मज्याडी	मातबर सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 08 आली मज्याडी वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)
7	महेशी देवी	क्षे0पं0स0 मेहलचौरी	महेशी क्षे० पं०. ... ह. . र वि० ख० गैरसैंण , चमोली